झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

4847
28/07/17

संकल्प

विषयः—राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत **Annuity Model** के आधार पर **LED** पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल **44,11,75,794/**—रू० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ—प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाईटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—4378 दिनांक—09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्त्तमान में राँची नगर निगम के कुल 55 वार्डों में कुल 26015 स्ट्रीट लाईटें लगी हैं, जिनमें 9945 LED स्ट्रीट लाईट हैं तथा 16070 पारंपरिक स्ट्रीट लाईट है। निगम क्षेत्र में कुल 16019 खाली पोल है। मेसर्स EESL द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाईट के स्थान एवं खाली पोल पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल **44,11,75,794/**—रू० का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पत्रांक—290(S&D) दिनांक—30.05.2017 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अभियंता प्रमुख, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी हैः—

(E)	**Phase I: Replacement of Conventional light with LED Lights (16070 Nos.)**				
S.No	**Name of Material**	**Quantity**	**Supply Rate**	**Manpower cost**	**Amount (Rs.)**
1	LED light-190 W	46	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	874000
2	LED light-120 W	15991	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	191892000
3	LED light-40 W	33	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	132000
4	Total Cost of LED lights				192898000
5	Infrastructure development charge		@10% of S.No.-4		19289800
6	Project Management consultancy		@3% of S.No.-4&5		6365634
	Total-		**196698090.06**	**21855343.4**	**218553434**
(F)	**Phase II: Installation of LED Light on Vacant Electric poles (16019 Nos.)**				
S.No	**Name of Material**	**Quantity**	**Supply Rate**	**Manpower cost**	**Amount (Rs.)**
1	LED light-120 W	15129	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	181548000
2	LED light-75 W	890	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	6675000
3	**Total Cost of LED lights**				188223000
4	Infrastructure development charge		@10% of S.No.-3		18822300
5	Project Management consultancy		@3% of S.No.-3&4		6211359
	Total -		**191930993.1**	**21325665.9**	**213256659**

Munni/Shail./sanlekh/Sankap& Sanlekh EESl-36

(G)	Infrastructure Development Component for Phase I				
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	459	2000	1000	1377000
	Total-		918000	459000	1377000
(H)	Infrastructure Development Component for Phase II				
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	458	2000	1000	1374000
	Total-		916000	458000	1374000
(E)	Supervision Cost (@ 15% of Manpower Cost)				Rs. 6614701
Total Project Cost (A+B+C+D+E)					Rs. 44,11,75,794

5. उक्त योजना के फेज–I के अन्तर्गत राँची शहर में वर्त्तमान में लगे हुए 16070 पारंपरिक लाईट को बदलकर LED Light लगाने पर कुल रू० **21,85,53,434**/– की लागत आयेगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 10 MU (Million Unit) ऊर्जा बचत होगी एवं मौजूदा बिजली की दर से रू० 4.48 करोड़ की बिजली बिल की बचत होगी। साथ ही, 16070 लाईट के रखरखाव पर खर्च होनेवाले अनुमानित रू० 1.85 करोड़ की बचत होगी। इस प्रकार LED Light के अधिष्ठापन से कुल रू० 6.33 करोड़ की बचत होगी। इसके बदले राँची नगर निगम द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष उक्त बचत राशि में से रू० 6.01 करोड़ का भुगतान किया जायेगा एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. को भुगतान के उपरांत निगम को प्रतिवर्ष पर कुल रू० 32.00 लाख की बचत होगी।

6. पुनः उक्त योजना के फेज–II के अन्तर्गत निगम क्षेत्र में अवस्थित खाली पोल पर पारंपरिक लाईट के स्थान पर LED Light के लगाये जाने पर उक्त की भांति बिजली एवं निधि की बचत होगी एवं उक्त क्षेत्र के निवासियों को रात्रि पथ प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। निगम क्षेत्र में अवस्थित 16019 खाली पोल पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा LED Light के अधिष्ठापन पर कुल **21,32,56,659/-** रू० की लागत आयेगी एवं इसके लिए निगम द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष 5.86 करोड़ रू० का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त योजना के फेज–I एवं फेज–II अन्तर्गत कुल 32089 (16070+16019) LED Light हेतु राँची नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः 6.01 करोड़ एवं 5.86 करोड़ रू० यानि कुल 11.87 करोड़ रू० का भुगतान M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 3699/–रू० का भुगतान किया जायेगा।

8. उक्त योजना के फेज–I एवं फेज–II हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत क्रमशः 13,77,000/–रू० एवं 13,74,000/–रू० यानि कुल 27,51,000/–रू० तथा योजना का Supervision Cost रू० 66,14,701/– आयेगी, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं झारखण्ड बिजली निगम लि० को राँची नगर निगम के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

9. उक्त योजना प्रस्ताव पर विचार हेतु राँची नगर निगम के द्वारा दिनांक–14.12.2016 को Stakeholders की बैठक आयोजित की गयी। पुनः दिनांक–26.04.2017 को राँची नगर निगम बोर्ड की बैठक में उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त DPR को अनुमोदित किया गया है।

4847
28/07/17

10. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया गया है। राँची शहर हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर राँची नगर निगम के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. राँची शहर हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत फेज–I एवं फेज–II के साथ–साथ या आगे–पीछे कार्यान्वयन के संबंध में राँची नगर निगम एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा आपसी विचार विमर्श के आधार पर परिस्थितिगत आवश्यकता अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

12. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं उत्तरोतर वर्षो में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:–

मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796 (191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष–79– वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी।

13. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–4378 दिनांक–09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं राँची नगर निगम के साथ हस्ताक्षरित MOU के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED Street Light से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. राँची नगर निगम के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED Light अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाऐंगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत लिए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।

15. उक्त के आलोक में राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 44,11,75,794/–रू० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

16. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–18.07.2017 की बैठक में मंद सं०–6 के रूप में प्रशासिनक स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26.7.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—**5/न0वि0/विविध** (EESL)-109/2016—4847, रॉंची दिनांक— 28/07/17

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉंची/नोडल पदाधिकारी, ई—गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित।

26.7.17
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—**5/न0वि0/विविध** (EESL)-109/2016—4847, रॉंची दिनांक— 28/07/17

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना—सह—वित्त विभाग/उर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/नगर आयुक्त, रॉंची नगर निगम/महापौर, रॉंची नगर निगम/परियोजना निदेशक (प्रशासन) जुडको लिमिटेड/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई—प्रोक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26.7.17
सरकार के प्रधान सचिव